FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जर्ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/7	पत्रावली पेश। परिवादी पुखराज व शंकरलाल की ओर से वकील श्री मधुसुदन पुरी ने न्यायालय में उप० होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 cpc पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में से अप्रार्थी नं. 01 ने हम प्रार्थीगण को जरिये बेचान दस्तावेज रकबा 0.3479 है., ख.नं. ख.नं. 233 रकबा 0.1942 है., ख.नं. 237 234 रकबा 0.0728 है., ख.नं. 238 रकबा 1.0032 है. ख.नं. में से 1/5 वां हिस्सा यानि भूमि में से 1/8 वां हिस्सा में से वां हिस्सा प्रार्थी पुखराज सम्पूर्ण भूमि का 1/20 को क्रय किया। इसी प्रकार ने दिनांक 21.05.2019 को 2.7024 है. में से ख.नं. 239 रकबा ~~20.70~~ यानि सम्पूर्ण भूमि का 83/236 वां का 1/2 हिस्सा 87/2672 वां हिस्सा प्रार्थी पुखराज ने क्रय किया। इसी प्रकार ख.नं. 233, 234, 237, 239, 238 में प्रार्थी शंकरलाल ने अप्रार्थी नं. 01 से जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 21.05.2019 को क्रय किया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने के बावजूद भी हम प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया। वादग्रस्त आराजी में हमारा हक निहित है। हमें हाल ही में दिनांक 26.6.24 को इस वाद व प्रार्थना पत्र का पहली बार इल्म पेश कर रहे हैं अतः हमें प्रार्थना पत्र होने पर पक्षकार संयोजित किया जाकर हमारा पक्ष सुना जाना न्यायसंगत है। वकील प्रार्थी को प्रति दी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर जवाब न देकर सीधी बहस की। बहस में वकील अनप्रार्थी की सहमति पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी दुल्हाराम को अप्रार्थी नं. 28 व प्रार्थी शंकरलाल को अप्रार्थी नं. 29 के रूप में संयोजित किया जाता है। वकील प्रार्थी संशोधित शीर्षक पेश करें। वकील अनप्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र 72 सी.पी. आदि: प्रस्तुत की गई। वकील अप्रार्थी नं. 28, 29 ने बहस में बताया कि हम वर्ष 2017 से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमारा नामान्तरकरण नहीं भरा जा रहा है न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण हम खातेदार नहीं बन पा रहे हैं। हमने विधि अनुरूप अप्रार्थी नं. 01 सगराम/सुगनाराम विवादग्रस्त आराजी में संक्षिप्त हिस्सा कीमतन क्रय किया तथा सारी रकम चुकता कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीगण के मन में लालच जागने से अपनी शादी के लम्बे समय बाद विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद पत्र पेश कर स्थगन ले लिया जिसका उद्देश्य हमें हैरान परेशान करने का ही था। चूंकि वर्तमान में अप्रार्थी नं. 01 सगराम की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी नं. 01 ने स्वयं वादपत्र से हटने का निवेदन न्यायालय में कर दिया है शेष प्रार्थीगण विधिक वारिसान का नाम विवादग्रस्त आराजी में दर्ज होना स्वाभाविक कार्य की प्रक्रिया है। हमने अप्रार्थी नं. 01 सगराम के हिस्से में से ही क्रय किया है तथा हमारे हिस्से की भूमि से प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण को कोई विपरीत नुकसान	

रा.मु.जो.

G.P.Ju

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	नहीं पड़ता तथा प्रार्थीगण का हक-हिस्सा सुरक्षित है। हम भी आराजी अपने भाग का उपभोग कर सहखातेदार (काश्तकार) रहे हैं अतः वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश की अवहेलना किया जाकर हमारे नाम नामान्तरण करने हेतु तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेशित करावें। वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि अप्रार्थी नं. 01 सगाराम ने अपने जीते जी वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने हेतु दिनांक 11.06.2019 को जरिये बख्शीशनामा तीन दानपत्र बहक लीला देवी पत्नी स्व. धपूराम जाति जाट, प्रवीण पुत्र स्व. धपूराम जाति वली माता लीला देवी, भीमाराम पुत्र सगाराम जाति जाट को अपनी सम्पूर्ण आराजी बख्शीश कर दी इससे पूर्व दिनांक 21.05.2019 को जरिये बेचान दस्तावेज अप्रार्थी नं. 28, 29 को अपनी भूमि का विक्रय कीमतन किया जा चुका है तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द कर प्रार्थीगण के हक हिस्से को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे क्योंकि मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण सगाराम की जाईदा पुत्रियां हैं तथा पैतृक संपत्ति में अपना हक-अधिकार रखती हैं। साथ ही	

सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण की पक्ष में है तथा प्रार्थीगण, को बेचान व कब्जा हस्तान्तरण से अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. 1955 मे स्वीकार किया जाना उचित है। इस प्रकार किया कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी नं. 28, 29 रोकता है तथा इन्होने जरिये बेचान दस्तावेज हिस्सा कम किया है वादग्रस्त आराजी में छोटा हिस्सा कम किया है जिससे हमारा हक-हिस्सा प्रभावित नहीं होगा अतः अप्रार्थी नं. 28, 29 के हिस्से तक स्थगन आदेश में आंशिक राहत दे दी जावे तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष को सुना। वकील उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी में पूर्व में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.6.2019 के आदेशानुसार अप्रार्थीगणों को अपने हक-हिस्से से अधिक बेचान हस्तान्तरण पर नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है चूंकि अप्रार्थी नं. 28, 29 ने वाद पेश होने से पहले अप्रार्थी नं. 01 सगराम के हिस्से में से ही छोटा हिस्सा कम किया है जिससे प्रार्थीगण का हक-हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा है लेकिन अप्रार्थी नं. 01 सगराम द्वारा वाद में 11.06.2019 को अपनी सम्पूर्ण आराजी को अप्रार्थी नं. 51, 52 व 53 को कब्जा दिया है जो अपने हक हिस्से से अधिक है जिसमे प्रार्थीगण का हक-हिस्सा प्रभावित हो रहा है। सम्पूर्ण विवेचन बाद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी में ख. नं. 233, 234, 237, 238, व 239 में अप्रार्थी नं. 28, 29 द्वारा जरिये बेचान दस्तावेज क्रयशुदा

आराजी का नामान्तरकरण दर्ज कर जमाबंदी की प्रति न्यायालय में पेश करे। शेष वादग्रस्त आराजी पर पूर्व आदेश दिनांक 11.06.2019 के मुताबिक स्थगन जारी रहेगा उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी नं. 26, 29 का नाम दर्ज होने के बाद राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति व कब्जा मुतवाद बनाये रखें। पालनार्थ हेतु TDR पीपाड़ शहर को तहरीर जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रेकार्ड की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

16/7

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)